उत्तर प्रदेश शासन
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3
संख्या-एम-4065/32-3-2008
लखनऊ:: दिनांक:: 30 अप्रैल, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के संज्ञान में यह बराबर आ रहा है कि ऐसे महानुभावों, जिनके पास लखनऊ में निजी/सरकारी आवास आवंटित है, द्वारा भी लखनऊ स्थित अतिथिगृहों में कक्ष आवंटित कराकर अध्यासन किया जाता है।

2- इस सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन लखनऊ स्थित विशिष्ट अतिथिगृह, डालीबाग, राज्य अतिथिगृह, मीराबाई मार्ग एवं उ0प्र0राज्य अतिथिगृह, विक्रमादित्य मार्ग में ऐसे मा0महानुभावों/मा0अतिथियों जिनके पास लखनऊ में निजी आवास/सरकारी आवास आवंटित है, को अतिथिगृह में कक्ष का आवंटन नही किया जायेगा।

3- अतः अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बंधित व्यवस्थाधिकारी स्वयं यह सुनिश्चित करेगे कि किसी भी ऐसे महानुभाव/मा0अतिथि को कक्ष आवंटित नही किया जाय।यदि ऐसा होता है तो इसका पूर्ण दायित्व व्यवस्थाधिकारी का होगा।

उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(प्रभात मित्तल) 30/4/08
विशेष सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी

1- मुख्य व्यवस्थाधिकारी,
विशिष्ट अतिथिगृह,डालीबाग,लखनऊ।

2- व्यवस्थाधिकारी,राज्य अतिथिगृह,मीराबाई मार्ग /विक्रमादित्य मार्ग,लखनऊ।

५८